

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-24.6.2016

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2016-17 के शेष माह में व्यय के लिये कुल ₹ 42,04,76,500/- (बयालीस करोड़ चार लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 42,04,76,500/- (बयालीस करोड़ चार लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि से ही लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत गठित कार्यालय हेतु भी वेतन सहित सभी मदों में व्यय किया जाएगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. जिन पदों के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियमानुसार नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जायेगा।

12. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन



(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक- 2016

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2016-17 के शेष माह में व्यय के लिये कुल ₹ 42,04,76,500/- (बयालीस करोड़ चार लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 42,04,76,500/- (बयालीस करोड़ चार लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि से ही लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत गठित कार्यालय हेतु भी वेतन सहित सभी मदों में व्यय किया जाएगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. जिन पदों के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियमानुसार नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जायेगा।

12. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-5/बजट 1-05/2016 सा0-.....18..... /

पटना, दिनांक-24.6.2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव

| क्र० सं० | जिला का नाम | वेतन | जीवन यापन भत्ता | मकान किराया भत्ता | चिकित्सा भत्ता | अन्य भत्ता | योग-वेतन एवं भत्ते | चिकित्सा प्रतिपूर्ति |
|----------|--------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|----------------------|
| | कूट संख्या - | 01 01 | 01 03 | 01 04 | 01 06 | 01 07 | | 06 01 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | पटना | 184,00,000 | 194,00,000 | 2,00,000 | 2,00,000 | 14,000 | 382,14,000 | 0 |
| 2 | भोजपुर | 100,00,000 | 110,00,000 | 2,50,000 | 1,00,000 | 10,000 | 213,60,000 | 0 |
| 3 | बक्सर | 50,00,000 | 60,00,000 | 1,00,000 | 80,000 | 6,000 | 111,86,000 | 0 |
| 4 | कैमूर(ममुआ) | 60,00,000 | 40,00,000 | 1,00,000 | 80,000 | 6,000 | 101,86,000 | 0 |
| 5 | औरंगाबाद | 40,00,000 | 50,00,000 | 80,000 | 80,000 | 6,000 | 91,66,000 | 0 |
| 6 | मुजफ्फरपुर | 70,00,000 | 80,00,000 | 80,000 | 2,00,000 | 14,000 | 152,94,000 | 0 |
| 7 | सीतामढ़ी | 50,00,000 | 60,00,000 | 80,000 | 80,000 | 6,000 | 111,66,000 | 0 |
| 8 | पूंचम्पारण | 60,00,000 | 70,00,000 | 80,000 | 80,000 | 6,000 | 131,66,000 | 4,83,000 |
| 9 | पंचम्पारण | 60,00,000 | 70,00,000 | 80,000 | 80,000 | 6,000 | 131,66,000 | 0 |
| 10 | शिवहर | 20,00,000 | 30,00,000 | 60,000 | 60,000 | 6,000 | 51,26,000 | 0 |
| 11 | वैशाली | 50,00,000 | 60,00,000 | 80,000 | 80,000 | 6,000 | 111,66,000 | 0 |
| 12 | दरभंगा | 60,00,000 | 70,00,000 | 80,000 | 1,20,000 | 14,000 | 132,14,000 | 0 |
| 13 | मधुबनी | 60,00,000 | 70,00,000 | 80,000 | 80,000 | 6,000 | 131,66,000 | 0 |
| 14 | समस्तीपुर | 60,00,000 | 70,00,000 | 80,000 | 80,000 | 6,000 | 131,66,000 | 0 |
| 15 | सारण | 60,00,000 | 70,00,000 | 80,000 | 1,20,000 | 10,000 | 132,10,000 | 0 |
| 16 | सिवान | 30,00,000 | 40,00,000 | 60,000 | 80,000 | 6,000 | 71,46,000 | 0 |
| 17 | गोपालगंज | 40,00,000 | 50,00,000 | 80,000 | 80,000 | 6,000 | 91,66,000 | 0 |
| 18 | भागलपुर | 60,00,000 | 70,00,000 | 80,000 | 1,20,000 | 10,000 | 132,10,000 | 0 |
| 19 | बांका | 30,00,000 | 40,00,000 | 60,000 | 60,000 | 6,000 | 71,26,000 | 0 |
| 20 | मुंगेर | 40,00,000 | 50,00,000 | 60,000 | 1,20,000 | 10,000 | 91,90,000 | 0 |
| 21 | लक्ष्मीसराय | 20,00,000 | 30,00,000 | 60,000 | 80,000 | 6,000 | 51,46,000 | 0 |
| 22 | जमुई | 20,00,000 | 30,00,000 | 60,000 | 60,000 | 6,000 | 51,26,000 | 0 |
| 23 | खगड़िया | 40,00,000 | 50,00,000 | 60,000 | 80,000 | 6,000 | 91,46,000 | 0 |
| 24 | बेगूसराय | 40,00,000 | 50,00,000 | 60,000 | 80,000 | 6,000 | 91,46,000 | 0 |
| 25 | पूर्णियाँ | 40,00,000 | 50,00,000 | 60,000 | 1,20,000 | 10,000 | 91,90,000 | 0 |
| 26 | कटिहार | 30,00,000 | 40,00,000 | 60,000 | 80,000 | 6,000 | 71,46,000 | 0 |
| 27 | अररिया | 20,00,000 | 30,00,000 | 60,000 | 80,000 | 6,000 | 51,46,000 | 0 |
| 28 | किशनगंज | 20,00,000 | 30,00,000 | 60,000 | 80,000 | 6,000 | 51,46,000 | 0 |
| 29 | सहरसा | 40,00,000 | 50,00,000 | 60,000 | 1,20,000 | 10,000 | 91,90,000 | 0 |
| 30 | मधेपुरा | 30,00,000 | 40,00,000 | 60,000 | 60,000 | 6,000 | 71,26,000 | 0 |
| 31 | सुपौल | 30,00,000 | 40,00,000 | 60,000 | 60,000 | 6,000 | 71,26,000 | 0 |
| 32 | रोहतास | 60,00,000 | 70,00,000 | 1,00,000 | 80,000 | 6,000 | 131,86,000 | 0 |
| 33 | नालन्दा | 60,00,000 | 44,00,000 | 1,00,000 | 1,20,000 | 8,000 | 106,28,000 | 0 |
| 34 | गया | 60,00,000 | 44,00,000 | 1,00,000 | 1,20,000 | 14,000 | 106,34,000 | 0 |
| 35 | नवादा | 40,00,000 | 50,00,000 | 80,000 | 80,000 | 6,000 | 91,66,000 | 0 |
| 36 | जहानाबाद | 40,00,000 | 50,00,000 | 80,000 | 80,000 | 6,000 | 91,66,000 | 0 |
| 37 | अरवल | 20,00,000 | 30,00,000 | 60,000 | 80,000 | 6,000 | 51,46,000 | 0 |
| 38 | शेखपुरा | 20,00,000 | 30,00,000 | 60,000 | 60,000 | 6,000 | 51,26,000 | 0 |
| | कुल योग - | 1814,00,000 | 2112,00,000 | 30,90,000 | 35,00,000 | 2,86,000 | 3994,76,000 | 4,83,000 |

contd....

A

| क्र० सं० | जिला का नाम | यात्रा व्यय | कार्यालय व्यय | वाहन का ईंधन एवं | दूरभाष | विद्युत प्रसार | वर्दी/पोशाक | व्यावसायिक एवं विशेष | कुल |
|----------|--------------|-------------|---------------|------------------|-----------|----------------|-------------|----------------------|-------------|
| | कूट संख्या - | 11 01 | 13 01 | 13 02 | 13 03 | 13 04 | 13 06 | 28 01 | |
| 10 | 11 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | पटना | 0 | 5,82,000 | 0 | 1,05,000 | 82,000 | 0 | 0 | 389,83,000 |
| 2 | भोजपुर | 0 | 2,91,000 | 0 | 52,500 | 42,000 | 0 | 0 | 217,45,500 |
| 3 | बक्सर | 0 | 1,94,000 | 0 | 35,000 | 28,000 | 0 | 0 | 114,43,000 |
| 4 | कैमूर(भमुआ) | 0 | 1,94,000 | 0 | 35,000 | 28,000 | 0 | 0 | 104,43,000 |
| 5 | औरंगाबाद | 0 | 1,94,000 | 0 | 35,000 | 28,000 | 0 | 0 | 94,23,000 |
| 6 | मुजफ्फरपुर | 0 | 1,94,000 | 0 | 35,000 | 28,000 | 0 | 0 | 155,51,000 |
| 7 | सीतामढ़ी | 0 | 2,91,000 | 0 | 52,500 | 42,000 | 0 | 0 | 115,51,500 |
| 8 | पूंचम्पारण | 0 | 5,82,000 | 0 | 1,05,000 | 84,000 | 0 | 0 | 144,20,000 |
| 9 | पंचम्पारण | 0 | 2,91,000 | 0 | 52,500 | 42,000 | 0 | 0 | 135,51,500 |
| 10 | शिवहर | 0 | 97,000 | 0 | 35,000 | 14,000 | 0 | 0 | 52,72,000 |
| 11 | वैशाली | 0 | 2,91,000 | 0 | 52,500 | 42,000 | 0 | 0 | 115,51,500 |
| 12 | दरभंगा | 0 | 2,91,000 | 0 | 52,500 | 42,000 | 0 | 0 | 135,99,500 |
| 13 | मधुबनी | 0 | 4,85,000 | 0 | 87,500 | 70,000 | 0 | 0 | 138,08,500 |
| 14 | समस्तीपुर | 0 | 4,85,000 | 0 | 87,500 | 70,000 | 0 | 0 | 138,08,500 |
| 15 | सारण | 0 | 2,91,000 | 0 | 52,500 | 42,000 | 0 | 0 | 135,95,500 |
| 16 | सिवान | 0 | 1,94,000 | 0 | 35,000 | 28,000 | 0 | 0 | 74,03,000 |
| 17 | गोपालगंज | 0 | 1,94,000 | 0 | 35,000 | 28,000 | 0 | 0 | 94,23,000 |
| 18 | भागलपुर | 0 | 2,91,000 | 0 | 52,500 | 42,000 | 0 | 0 | 135,95,500 |
| 19 | बांका | 0 | 97,000 | 0 | 17,500 | 14,000 | 0 | 0 | 72,54,500 |
| 20 | मुंगेर | 0 | 2,91,000 | 0 | 52,500 | 42,000 | 0 | 0 | 95,75,500 |
| 21 | लखीसराय | 0 | 97,000 | 0 | 17,500 | 14,000 | 0 | 0 | 52,74,500 |
| 22 | जमुई | 0 | 97,000 | 0 | 17,500 | 14,000 | 0 | 0 | 52,54,500 |
| 23 | खगड़िया | 0 | 1,94,000 | 0 | 87,500 | 28,000 | 0 | 0 | 94,55,500 |
| 24 | बेगूसराय | 0 | 4,85,000 | 0 | 87,500 | 70,000 | 0 | 0 | 97,88,500 |
| 25 | पूर्णियाँ | 0 | 3,88,000 | 0 | 70,000 | 56,000 | 0 | 0 | 97,04,000 |
| 26 | कटिहार | 0 | 2,91,000 | 0 | 52,500 | 42,000 | 0 | 0 | 75,31,500 |
| 27 | अररिया | 0 | 1,94,000 | 0 | 35,000 | 28,000 | 0 | 0 | 54,03,000 |
| 28 | किशनगंज | 0 | 97,000 | 0 | 17,500 | 14,000 | 0 | 0 | 52,74,500 |
| 29 | सहरसा | 0 | 1,94,000 | 0 | 35,000 | 28,000 | 0 | 0 | 94,47,000 |
| 30 | मधेपुरा | 0 | 1,94,000 | 0 | 35,000 | 28,000 | 0 | 0 | 73,83,000 |
| 31 | सुपौल | 0 | 3,88,000 | 0 | 70,000 | 56,000 | 0 | 0 | 76,40,000 |
| 32 | रोहतास | 45,000 | 8,00,000 | 4,00,000 | 90,000 | 90,000 | 45,000 | 2,00,000 | 148,56,000 |
| 33 | नालन्दा | 50,000 | 9,00,000 | 5,00,000 | 90,000 | 1,20,000 | 45,000 | 4,00,000 | 127,33,000 |
| 34 | गया | 50,000 | 9,00,000 | 6,00,000 | 1,50,000 | 1,50,000 | 45,000 | 1,50,000 | 126,79,000 |
| 35 | नवादा | 30,000 | 3,00,000 | 3,00,000 | 40,000 | 50,000 | 45,000 | 1,50,000 | 100,81,000 |
| 36 | जहानाबाद | 30,000 | 3,00,000 | 3,00,000 | 40,000 | 50,000 | 45,000 | 1,50,000 | 100,81,000 |
| 37 | अरवल | 30,000 | 3,00,000 | 3,00,000 | 40,000 | 50,000 | 45,000 | 1,50,000 | 60,61,000 |
| 38 | शंखपुरा | 30,000 | 3,00,000 | 90,000 | 40,000 | 50,000 | 45,000 | 1,50,000 | 58,31,000 |
| | कुल योग - | 2,65,000 | 122,39,000 | 24,90,000 | 20,82,500 | 17,76,000 | 3,15,000 | 13,50,000 | 4204,76,500 |

(बयालीस करोड़ चार लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ रुपये) मात्र।

2
21

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग